न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 03 / 2019

राजस्थान सरकार जरिये पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी, भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री सस्पेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी बृज विहार कॉलोनी मडरपुर रोड भरतपुर।
2—श्री दलवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी पंचायत नगला हथैनी तहसील भरतपुर।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आर्डर 2000

निर्णय **दिनांक 19.11.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्व अप्रार्थीगण पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28—01—2019 को वाहन में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग होने की पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर से सूचना मिलने पर बृज विहार कॉलोनी मडरपुर रोड भरतपुर में मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। मौके पर एक मकान में खड़ी मारूति सुजुकी ईको रजि0 नं. आरजे 05 यूए 5217 में घरेलू गैस सिलेण्डर से विद्युत चलित मोटर के द्वारा घरेलू गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। उक्त कार्य मौके पर उपस्थित सस्पेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी बृज विहार कॉलोनी भरतपुर द्वारा किया जा रहा था। मौके पर वाहन चालक दलवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी नगला हथैनी जिसने स्वयं को वाहन का मालिक भी बताया, उपस्थित मिला। मौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक अन्य बैटरी चलित मोटर जिसमें नली व रेगुलेटर लगे हुए मिले। सस्पेन्द्र कुमार ने कार्यवाही स्थल को स्वयं का घर होना बताया एवं विद्युत मोटर व 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को भी स्वयं का होना बताया। वाहन चालक दलवीर ने वाहन को हाल ही में खरीदना बताया एवं वाहन में गैस रिफिलिंग कराने के लिए मौके पर लाना बताया। मौके पर मिले 6 गैस सिलेण्डरों को तुलवाया गया, जिसका विवरण फर्द मौका में अंकित है। सस्पेन्द्र कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं रिफिलिंग कार्य हेतु कोई दस्तावेज या अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार मौके पर सस्पेन्द्र कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. गैस को वाहन में अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी एवं वाहन चालक दलवीर सिंह द्वारा अपने वाहन में गैस अवैध रूप से भरवाई जा रही थी।

उक्त कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 / 7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर वजह सबूत 6

घरेलू गैस सिलेण्डरों (आई.ओ.सी.एल. कंपनी) मय गैस 2 मोटर मय रेगुलेटर मय नली व तार एवं मारूति सुजुकी ईको रजि0 नं. आरजे 05 यूए 5217 को जब्त किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से गैस सिलेण्डरों व मोटर को फतेह सिंह पुत्र देवीसिंह, गोदाम कीपर, बृज गैस भरतपुर की सुपुर्दगी में दिया गया एवं वाहन को पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। साथ ही प्रकरण में संबंधितों के विरुद्ध पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफ.आई.आर. सं. 80/2019 दि. 28.01.2019 दर्ज कराई गई।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों (आई.ओ.सी.एल. कंपनी) मय गैस 2 मोटर मय रेगुलेटर मय नली व तार एवं मारूति सुजुकी ईको रजि0 नं. आरजे 05 यूए 5217 को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया। जो शामिल मिसिल किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि पुलिस कर्मियों ने झूठा मनगढंत गैस रिफिलिंग का मुकदमा बनाया है जो गलत है। प्रार्थीगण का उक्त कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है। पुलिस थाना मथुरागेट ने षड्यंत्रपूर्वक तरीके से जो भी गैस सिलेण्डर, मोटर, रेगुलेटर, नली, तार जब्त दिखाए हैं, वह गलत है। प्रार्थी दलवीर तो अपनी मारूति कार लेकर सस्पेन्द्र के घर पर नहीं गया, बल्कि मित्र होने के नाते मिलने गया था। अतः धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जावे।

बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई, किंतु उपस्थित नहीं आये। पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी को सुना गया।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया किया कि दिनांक 28.01.2019 को पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर की सूचना पर बृज विहार कॉलोनी मडरपुर रोड भरतपुर पर मौके पर पहुंचकर एक मकान जो सस्पेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी बृज विहार कॉलोनी मडरपुर रोड भरतपुर का था, पर खड़ी मारूति सुजुकी ईको रजि0 नं. आरजे 05 यूए 5217 जो दलवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी नगला हथैनी की थी, में घरेलू गैस सिलेण्डर से विद्युत चलित मोटर के द्वारा अवैध रूप से सस्पेन्द्र कुमार द्वारा वाहन में अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी। वाहन चालक दलवीर सिंह द्वारा अपने वाहन में घरेलू गैस अवैध रूप से भरवाई जा रही थी। सस्पेन्द्र कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग कार्य हेतु कोई दस्तावेज या अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त कार्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का अधिनियम) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4, एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों (आई.ओ. सी.एल. कंपनी) मय गैस, 2 मोटर मय रेगुलेटर मय नली व तार एवं मारूति सुजुकी ईको रजि0 नं. आरजे 05 यूए 5217 को राजसात किये जाने की पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद के कथनों पर मनन किया। वक्त बहस अप्रार्थी0 या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये हैं। पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत जबाब अप्रार्थीगण पर गौर किया। अप्रार्थीगण का अपने जवाब में यह कथन कि मौके पर एक बैटरी चलित मोटर , नली रेगूलेटर नहीं मिला था, अप्रार्थी0 कोई गैस रिफलिंग का कार्य नहीं कर रहे थे, उन्हें इस कार्यवाही में झूठा फंसाया गया है यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता क्यों कि पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका जॉच रिपोर्ट एवं फर्द जप्ती कार्यवाही में से स्पष्ट है कि मौके पर फर्द जप्ती कार्यवाही में अन्य मौतविरान के साथ अप्रार्थी सस्पेन्द्र कुमार एवं दलवीर के हस्ताक्षर हो रहे हैं। जिसमें उक्त सामान जप्त किये जाने का भी उल्लेख है। इस से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थीगण की गई कार्यवाही एवं फर्द जप्ती कार्यवाही से सहमत थे, मौके पर उन्होने कोई विरोध दर्ज कराने का कोई उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से घरेलू गैस का अवैध स्थानान्तरण करने का कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। किन्तु नरम रूख अपनाते हुए मारूति सुजुकी ईको रजि0 नं. आरजे 05 यूए 5217 को रिलीज किया जाना एवं मौके से जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों (आई.ओ.सी.एल. कंपनी) मय गैस, 2 मोटर मय रेगुलेटर मय नली व तार को राजसात(Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके से जप्त शुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों (आई.ओ.सी.एल. कंपनी) मय गैस, 2 मोटर मय रेगुलेटर मय नली व तार को राजसात(Confiscate) किया जाता है एवं मारूति सुजुकी ईको रजि0 नं. आरजे 05 यूए 5217 को (सुपुर्दगी से वागुजार) रिलीज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे, तथा अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19–11–2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.जोगाराम)
जिला कलक्टर
भरतपुर